पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०दु०–08 / 2009:–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री श्यामलाल मेहरा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल गढ़वा/ जामताड़ा/दुमका सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं० 6466 दिनांक– 08.11.12 के द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43 बी॰ के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

(क) लघु सिंचाई प्रमण्डल गढ़वा के कार्य क्षेत्र से संबंधित।

आरोप सं॰–1

(i) कोल्हुआ तालाब योजना का कार्य बगैर स्वीकृत प्राक्कलन के करना।

(ii) प्रीलेवल / ब्लॉक लेवल का संधारण नहीं किया जाना।

(iii) रूपये 1,69,304.78 का अनियमित भुगतान।

आरोप सं॰–2

(i) राजापहाड़ी तालाब योजना का कार्यान्वियन बगैर प्राक्कलन की स्वीकृति के करना।

(ii) प्रीलेवल / ब्लॉक लेवल का संधारण नहीं किया जाना।

(iii) रूपये 4,16,133.58 का अनियमित भुगतान।

(iv) सीढ़ी घाट का अधूरा निर्माण।

आरोप सं॰–3

(i) तिवारी मरहटिया तालाब योजना का कार्यान्वयन बगैर स्वीकृत प्राक्कलन के कराना।

(ii) प्रीलेवल / ब्लॉक लेवल का संधारण नहीं करना।

(iii) रूपये 65,527.35 का अनियमित भुगतान।

(iv) (इनलेट / आऊटलेट टूट – फूट की स्थिति में पाया जाना।

आरोप सं॰–4

(i) बकोईया तालाब योजना का कार्यान्वयन बगैर स्वीकृत प्राक्कलन के कराना।

(ii) प्रीलेवल / ब्लॉक लेवल का संधारण नहीं किया जाना।

(iii) रूपये 1,58,462.95 का अनियमित भुगतान।

(iv) इनलेट / आऊटलेट ध्वस्त / खराब हालत में पाया जाना।

(ख) लघु सिंचाई प्रमंडल जामताड़ा के कार्य क्षेत्र से संबंधित।

आरोप सं॰–5

(i) सलदाहा तालाब योजना के कार्यों की मापपुस्त उपलब्ध नहीं कराना।

(ii) प्राक्कलन के सापेक्ष रूपये 2,05,785.37 का अनियमित भुगतान ।

(iii) प्लास्टर सही ढ़ंग से नहीं कराया जाना।

आरोप सं०–6

(i) दक्षिणीडीह तालाब योजना के कार्यों की मापी पुस्ति उपलब्ध नहीं कराना।

(ii) प्राक्कलन के सापेक्ष रूपये 32,551.44 का अनियमित भुगतान ।

आरोप सं०–7

(i) हरिनारायणपुर तालाब योजना के कार्यों की मापी पुस्ति उपलब्ध नहीं कराना।

(ii) प्राक्कलन के सापेक्ष रूपये 55,834.66 का अनियमित भुगतान ।

(iii) कार्य असंतोषप्रद।

(ग) लघु सिंचाई प्रमंडल दुमका के कार्य क्षेत्र से संबंधित।

आरोप सं०–8

(i) झुनकी तालाब योजना का पक्का कार्य खराब स्थिति में पाया जाना।

(ii) योजना का फ्लोर अधूरा होना ।

(iii) घाट / सीढ़ी कार्य में क्रेक पाया जाना।

2. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में श्री मेहरा, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता के विरूद्ध आरोप सं०1(i), 1(iii), 2(i), 2(iii), 3(i), 3(ii), 3(iii), 3(iv), 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 5(i), 5 (iii) एवं 8 (iii) प्रमाणित पाया गया।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई।

4. सम्यक समीक्षोपरान्त श्री मेहरा, ततकालीन कार्यपालक अभियंता से उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न प्रस्तावित दण्ड के सापेक्ष द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

(क) रू० 8,09,427.86 (आठ लाख नौ हजार चार सौ सताईस रू० एवं छियासी पैसे) मात्र 12% सूद के साथ वसूली एवं वृहद दण्ड के रूप में पेंशन से कटौती।

5. श्री मेहरा ततकालीन कार्यपालक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि गढ़वा जिला में लघु सिंचाई प्रमण्डल गढ़वा अंतर्गत निर्माणाधीन तालाब योजना में बगैर स्वीकृत प्राक्कलन के कराये गये कार्य के लिये श्री मेहरा दोषी है। सलदाहा तालाब योजना जिला–जामताड़ा में कराये गये कार्य की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पायी गयी है।

अतः श्री श्याम लाल मेहरा, ततकालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए समीक्षोपरान्त निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः–

(क) पेंशन से 10% की कटौती पाँच वर्षों के लिए।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 4477 रॉंची/दिनांक 14.09.16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखंड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा/ उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–1, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay 14/09/2016

सरकार के अवर सचिव।